पत्रावली दि० 14-6-19 को पेश हो।

14-6-19 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
~~उपस्थित हैं~~/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् ~~पीठासीन~~
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17-6-19
को पेश हो।

रीडर

17-6-19 वकील प्रार्थी उप० । बहस हेतु पत्रावली दि० 17-7-19 को पेश हो।

17-7-19 वकील प्रार्थी उप० । बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 24-7-19 को पेश हो।

24-7-19 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
~~उपस्थित हैं~~/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् ~~पीठासीन~~
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-8-19
को पेश हो।

रीडर

1-8-19 वकील प्रार्थी उप० । प्रा०पत्र 136 L.R.A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2017	2.8.2017	1.8.2019

रामस्वरूप पुत्र स्व0 मूल्या उर्फ मंगल, जाटव निवासी वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री दिनेश कुमार डांस, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी रामस्वरूप जाटव निवासी वजीरपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आज से करीब 43 वर्ष पहले प्रार्थी को साबिक ख0नं0 15/1/31 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा भूमि ग्राम वजीरपुर में दिनांक 6.7.74 को आवंटित हुई थी। इस आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता नाम मूला अंकित है। प्रार्थी के पिता का नाम अन्य दस्तावेजो में मूला ही अंकित है। प्रार्थी को आवंटित भूमि के हाल ख0नं0 1267, 1328 बने हैं। जमाबंदी सं0 2072 से 2075 में प्रार्थी की बल्दियत राजस्व कर्मियों ने गलती से मंगल अंकित कर रखी है। प्रार्थी को इस गलती की जानकारी केसीसी0 बनवाने के समय हुई। यह भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में निरंतर चली आ रही है। प्रार्थी के पिता के गलत नाम मंगल के स्थान पर सही नाम मूला अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जमाबंदी में गलती से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम मंगल को हजफ कर उसके स्थान पर सही नाम मूला अंकित किए जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने फोटोकोपी आवंटन आदेश दिनांक 9.6.74, नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 619, फोटोकोपी निर्वाचक पहचान पत्र, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी जोबकार्ड प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर से मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक भू.अ./2018/969 दि0 26.12.08 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 619 ग्राम वजीरपुर में प्रार्थी के पिता का नाम मंगल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य अभिलेख फोटोकोपी निर्वाचक पहचान पत्र, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकोपी राशनकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मूल्या दर्ज है। तहसीलदार वजीरपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि सं0 2032 से 2035 के खाता संख्या 973 में रामस्वरूप पुत्र मूल्या जाति जाटव निवासी वजीरपुर का नाम दर्ज है जिसे भू–प्रबन्ध खतौनी सं0 2039 के खाता संख्या 1034 पर रामस्वरूप पुत्र मंगल जाति जाटव नि0 ग्राम गैरखातेदार दर्ज कर दिया है जिसके अनुसार ही अंकन वर्तमान में चला आ रहा है। साबिक जमाबंदी अनुसार रामस्वरूप पुत्र मूल्या ही शुद्ध है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं रिपोर्ट तहसीलदार वजीरपुर के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम वजीरपुर की जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के खाता संख्या 619 में दर्ज नाम रामस्वरूप पुत्र मंगल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र मूल्या दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 147 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.18 16:41:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: